



कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर



प्रेस-नोट
(दिनांक 08.10.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अवैध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दिनांक 07.10.2024 को पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में सायंकालीन एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों की चैकिंग, राजकोप ऐप से फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना, होटल ढाबा सराय चैक करना तथा काला शीशा, बिना नंबर, बंपर लगे वाहनों, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत्त सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध धारा 185 एम.वी. एक्ट में तथा काला शीशा, बिना नंबर, बंपर लगे वाहनों का एमवी एक्ट में कार्यवाही करने व होटल ढाबा सराय चैक करना, राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए।

श्री पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त वृत्त अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अभियान के तहत कुल 204 होटल ढाबा सराय तथा 241 संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध 185 एम.वी. एक्ट में कुल 31 चालान कार्यवाही, काला शीशा लगे वाहन 08, बिना नंबर 06 व बंपर लगे 08 वाहनों के विरुद्ध एम.वी. एक्ट में कार्यवाही की गई। राजकोप ऐप पर द्वारा कुल 186 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान कर उनमें से 125 व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व वॉट्सएप नं. 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।